

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 76/2023

उनवान

कमला देवी पत्नी नारायण खटीक निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीया

बनाम

- 1- लादू पिता बालू दरोगा निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा
- 2- भागचन्द पिता सोहन भारती निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा
- 3- गोपाल पिता कल्याण सेन निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री दुर्गालाल राजोरा
अधिवक्ता प्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 13.06.2023

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम गिरड़िया पटवार हल्का गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 856 रकबा 2.1600 है0 कुल किता 1 रकबा 2.1600 हैक्टेयर की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की पेरा सं0 01 में वर्णित आराजियात के विपक्षीगण पड़ौसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते हैं। प्रार्थी अपनी आराजियात की मेड़ों से घास काटाते समय विपक्षीगण विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम गिरड़िया पटवार हल्का गिरड़िया संवत् 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा गिरड़िया में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी की आराजियात किता 1 रकबा 2.1600 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 900/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी